

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 606 / 15

संस्थापन दिनांक:-29 / 09 / 15

फायलिंग नं. 233504000232015

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

भीमू उर्फ भीमराव पिता स्व. महादेव वराठे  
 उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 3, नाई मोहल्ला आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 18.01.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(ए), 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.09.2015 को प्रार्थिया के घर में नाई मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत कामीनाबाई के पति होते हुए उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता की एवं फरियादी को नोकदार टेस्टर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त से करीब 6 साल पहले हुआ था। शादी से उसके दो बच्चे एक लड़का एवं एक लड़की है। उसका पति भीमराव अक्सर उसे किसी भी बात को लेकर झगड़ा मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। हर रोज शराब पीकर आता था और कुछ काम नहीं करता था। जब वह काम करने का बोलती थी तो उसके साथ मारपीट करता था। दिनांक 13.09.2015 को करीब 2 बजे उसका पति भीमराव बाजार से घर आया और उससे बिना बात के गाली गुप्तार करने लगा। अभियुक्त के हाथ में पेचकस था। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्कों से मारपीट की। अभियुक्त के हाथ में रखे पेचकस से उसके बांये हाथ में खरोच आयी। फरियादी द्वारा चिल्लाने पर उसकी चाची सास सुरेखा उसे बचाने आयी तो अभियुक्त ने उनके साथ भी हाथ मुक्कों से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क.

494/15 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक नोकदार टेस्टर जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी कामीनाबाई एवं आहत सुरेखा का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 323(दो काउंट में) भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 498(ए), 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.09.2015 को प्रार्थिया के घर में नाई मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत कामीनाबाई के पति होते हुए उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता की एवं फरियादी को नोकदार टेस्टर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

## **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

6 कामीनाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी शादी वर्ष 2015 में अभियुक्त से रीति रिवाज से हुई थी। उसका अपने पति अभियुक्त से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था जिस पर उसने गुस्से में आकर पति के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लिखवा दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आयी थी तथा उसके पति ने उसे घरेलू बातों को लेकर कभी भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया।

7 साक्षी कामीना (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसका पति उसे घरेलू बात

को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे पेचकस से बांये हाथ की भुजा में मार दिया था। स्वतः में साक्षी ने प्रकट किया है कि घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था जिसमें गिरने से उसके बांये हाथ में चोट आयी थी।

8 इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त से घरेलू बात को लेकर उसका वाद विवाद हो गया था जिसकी शिकायत उसने थाना आमला में की थी तथा वाद विवाद में धक्का लगने से गिरने से उसके बांये हाथ में चोट आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त उसे घरेलू बातों को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि मामूली विवाद हुआ था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने फरियादी कामीनाबाई के पति होते हुए उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता की तथा फरियादी को नोकदार टेस्टर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त भीमू उर्फ भीमराव को धारा 498-ए, 324 भा0दं0सं0 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

10 प्रकरण में जप्त सुदा एक नोकदार टेस्टर अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)